राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 625/2023

श्रीमती सुशीला —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं।
4. चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिड़ावा, झुन्झुनूं।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पूनियां, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिडावा, झुन्झुनूं में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.11.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण निदेशालय में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवीकोट, जैसलमेर किया गया, जबकि अपीलार्थी आदेशों की प्रतीक्षा में न होकर माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 26.08.2022 की अनुपालना में अपने मूल पदस्थापन सीएचसी, चिडावा में ही पदस्थापित थी। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 09.12.2022 (अनुलग्नक—2) द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान सीएचसी चिडावा, झुन्झुनूं संशोधित किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या 4 के आदेश दिनांक 13.12.2022 (अनुलग्नक—3) द्वारा अपीलार्थी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवीकोट, जैसलमेर के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक—4) द्वारा क्रम संख्या 267 पर धनपती, नर्सिंग ऑफिसर का स्थानान्तरण सीएचसी कठूमर अलवर से सीएचसी चिडावा, झुन्झुनूं अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 26.07.2022 (अनुलग्नक—5) द्वारा निदेशालय,

जयपुर के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संचया 2828/2022 पेश की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 26.08.2022 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन सीएचसी चिडावा में ही कार्यरत रखे जाने के आदेश दिए गए। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गादली ढोढी, बुहाना, झुन्झुनूं में कार्यरत है। राज्य सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस–पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। वर्तमान में यह प्रकट नहीं होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया हो। इस प्रकरण में अपीलार्थी को समुचित समय तक वर्तमान पद पर पदस्थापित रखने के पश्चात् स्थानान्तरण किया गया है, इसमें कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव** (**(1995) 3 एस.सी.सी. 270**) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य